जारी

संख्या 639 / XXIII / 2016 / 04(02)2016

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 05 दिसम्बर 2016

विषयः स्वापक औषधी और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 14 के अधीन नशायुक्त भांग उन्मूलन व वाणिज्यिक एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प की खेती के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–1387 / छःप्रा0–159 / भांग की खेती नियमावली / 2016–17 दिनांक–29.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत औद्योगिक हैम्प की खेती के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नशायुक्त भांग उन्मूलन व वाणिज्यिक एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. कलेक्टर द्वारा नशायुक्त भांग उन्मूलन व वाणिज्यिक एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प की खेती के लिए अनुज्ञापन निर्धारित प्रारूप पर जारी किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि बिना अनुज्ञापन लिये औद्योगिक हैम्प की खेती नहीं कर सकेगा। औद्योगिक हैम्प के पौधे का प्रयोग केवल बीज एवं रेशा प्राप्त करने के लिये किया जायेगा। अनुज्ञापन व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति या इकाई को जारी किया जायेगा एवं अहस्तान्तरणीय होगा।
2. औद्योगिक हैम्प के वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु ऐसे व्यक्ति, शोध संस्थान एवं वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी संस्थान, जिनके स्वयं के नाम पर जमीन हो या पट्टाधारक हो को औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती के लिये अनुमति दी जायेगी, इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जिसके नाम जमीन हो, किसी वाणिज्यिक एवं औद्यनिकी इकाई के साथ साझेदारी में औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती के लिये आवेदन कर सकेगा, अनुज्ञापी अनुज्ञप्त खेत के अलावा अन्य किसी खेत में औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती नहीं करेगा। आवेदनकर्ता सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को निर्धारित प्रारूप पर अपने खेत का विवरण / क्षेत्रफल सहित आवेदन करेगा, जिसमें उसका नाम / पता / अनुमन्य सामग्री भण्डारित करने के परिसर का विवरण / लाईसेंस फीस आदि का विवरण अंकित करेगा। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ऐसी जांच के उपरांत, जो वह उचित समझे आवेदनकर्ता को औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती हेतु ऐसा लाईसेंस देने या न देने का अधिकार रखेगा। लाईसेंस न देने की स्थिति में कलेक्टर समुचित कारण से आवेदक को अवगत करायेगा तथा आवेदक तीस दिन के अन्दर आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

3. हैम्प के वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी उद्देश्य हेतु खेती तथा वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन के लिये औद्योगिक हैम्प के किसी भाग के भण्डारण हेतु किसी व्यक्ति, शोध संस्थान एवं वाणिज्यिक संस्थान को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन सम्बन्धित कलेक्टर के समक्ष करना होगा, जिसके साथ अनुज्ञापन शुल्क के रूप में रूपये 1000/–(एक हजार) प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिये जमा कराना होगा और उक्त आवेदन पर आवश्यक विचारोपरान्त सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा खेतीहर को औद्योगिक हैम्प की खेती एवं भण्डारण हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक प्रतिबन्धों के अधीन अनुज्ञापन जारी किया जायेगा। वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी इकाईयां जिनके द्वारा औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती नहीं की जा रही हो, को औद्योगिक हैम्प के पौधे के अनुमन्य भाग का वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी उपयोग किया जा सकता है। वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी इकाईयों को औद्योगिक हैम्प के पौधे के रेशे एवं बीज को अनुज्ञप्त खेतीहर से क्रय, उपयोग एवं भण्डारण करने के लिये निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित जिले के कलेक्टर के समक्ष आवेदन करना होगा। अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा यथावश्यक जांच के उपंरात सम्बन्धित वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी इकाई को निर्धारित प्रारूप पर रूपये 500 का भण्डारण शुल्क जमा करने पर अनुज्ञापन जारी किया जायेगा।

4. यदि किसी व्यक्ति, शोध संस्थान, वाणिज्यिक इकाई के पास इस नियमावली के अतिरिक्त अन्य किसी नियमावली के अधीन कोई औद्योगिक हैम्प से सम्बन्धित लाईसेन्स प्राप्त हो, तो उसे नियमावली के अन्तर्गत कोई लाईसेन्स देय नहीं होगा। इस सम्बन्ध में आवेदनकर्ता से इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उसके पास इस नियमावली के अतिरिक्त औद्योगिक हैम्प से सम्बन्धित कोई अनुज्ञापन नहीं है।

5. अनुज्ञापन धारक केवल न्यूनतम टी0एच0सी0 0.3 प्रतिशत या उससे कम मात्रा तक के बीज ही औद्योगिक हैम्प की खेती हेतु प्रयुक्त करेगा। अनुज्ञापन धारक को निर्धारित न्यूनतम टी0एच0सी0 0.3 या उससे कम मात्रा तक के बीज प्रयुक्त किये गये हैं, का प्रमाण–पत्र लाईसेन्स प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तदोपरान्त लाईसेन्स प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त बीज का उपयोग बुआई हेतु किया जायेगा। बीज आयात करने की अनुमति सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा दी जायेगी।

6. अनुज्ञप्त खेतीहर औद्योगिक हैम्प की फसल के किसी भाग को प्राप्त करने या कटान से तीन सप्ताह पूर्व सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को टी0एच0सी0 की जांच हेतु सूचित करेगा तथा जाचोंपरांत सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर फसल के किसी भाग का उपयोग किया जा सकेगा।

   अनुज्ञापन धारक द्वारा उक्त नियम–1 के अधीन सूचित किये जाने पर कलेक्टर द्वारा टी0एच0सी0 मात्रा जांच किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित इकाई को नमूने लिये जाने हेतु तत्काल सूचित करेगा। इस सम्बन्ध में होने वाला व्ययभार अनुज्ञापन धारक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

   अधिसूचित इकाई, लिये गये नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट को नमूने लेने के एक सप्ताह के भीतर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगी। जांच रिपोर्ट में टी0एच0सी0 की अधिकतम निर्धारित मात्रा 0.3 प्रतिशत पाये जाने पर अनुज्ञप्त खेतीहर को औद्योगिक हैम्प के फसल की कटान की अनुमति दी जायेगी। टी0एच0सी0 की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने की स्थिति में फसल नष्ट करने की कार्यवाही की जायेगी, उक्त स्थिति में सम्बन्धित अनुज्ञापी किसी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।

7. अनुज्ञप्त खेतीहर अपने अनुज्ञापन के अधीन अनुज्ञप्त खेत में उत्पादित औद्योगिक हैम्प के किसी भाग का वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी उपयोग कर सकेगा तथा उस भाग को निर्धारित प्रारूप पर अनुज्ञप्तिधारी वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी इकाईयों को विक्रय भी कर सकेगा। प्रतिबंध यह है कि अनुज्ञापी औद्योगिक हैम्प के पौधे से किसी भी प्रकार का मनः प्रभावी पदार्थ न तो प्राप्त करेगा

और न ही क्रय–विक्रय, उपयोग एवं भण्डारित करेगा। वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प के किसी भाग का परिवहन बिना पास के नहीं किया जायेगा, इस हेतु परिवहन पास निर्धारित प्रारूप पर जारी किया जायेगा।

8. इसके अधीन प्रदत्त अनुज्ञापन कैलेन्डर वर्ष में कभी भी जारी किया जा सकता है, जिसकी वैधता अवधि 5 वर्ष या उसके किसी भाग के लिये होगी, जिसे निर्धारित शुल्क/आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा आगामी 5 वर्ष के लिये अनुज्ञापी के अनुरोध पर नवीनीकृत किया जा सकेगा।

9. इसके अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञापनों का निरीक्षण आबकारी विभाग के उप आबकारी निरीक्षक एवं राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी एंव शासन द्वारा समय–समय पर नामित्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। औद्योगिक हैम्प की खेती एवं भण्डारण के सम्बन्ध में अनुज्ञापी द्वारा आवश्यक पंजिकाओं का रख–रखाव करना अनिवार्य होगा, जिसमें औद्योगिक हैम्प के पौधे से वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु प्राप्त पैदावार के क्रय–विक्रय, भण्डारण एवं उपयोग आदि का विवरण रखना होगा। किसी सक्षम अधिकारी द्वारा मांग करने पर अनुज्ञापी द्वारा अपना लाईसेन्स एवं लेखा–जोखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

10. अनुज्ञापी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ–1985 के प्रविधानो तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमो का पालन करने के लिए बाध्य होगा। अनुज्ञापी द्वारा अधिनियम के प्रविधानो एवं नियमो का उल्लघंन करने पर एन0डी0पी0एस0 एक्ट–1985 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही का भागी होगा।

11 अनुज्ञापी अपने खेत में उगाये गये औद्योगिक हैम्प के पौधे से वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु अनुमन्य औद्योगिक हैम्प के भाग के अतिरिक्त किसी अन्य भाग का न तो स्वयं उपभोग/उपयोग करेगा और न ही विक्रय करेगा तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, उपभोग/उपयोग करने की अनुमति देगा। अनुज्ञापी अपने खेत में उगाये गये औद्योगिक हैम्प के पौधे से वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु प्राप्त औद्योगिक हैम्प के किसी भाग का उपयोग एवं उसका विक्रय विहित रीति एवं प्रचालित नियमो के अनुसार करेगा।

12 कलेक्टर लिखित कारण के साथ किसी भी समय अनुज्ञापन निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा। अनुज्ञापी द्वारा यदि वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी उद्देशय हेतु औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती एवं उसके भण्डारण सम्बन्धी शर्तों या एन0डी0पी0एस0एक्ट–1985 का उल्लघंन किया जाता है, तो कलेक्टर द्वारा अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा। अनुज्ञापन के निरस्तीकरण या समर्पण करने पर औद्योगिक हैम्प के पौधे एवं उसके किसी भाग या अवशेष स्टॉक का निस्तारण अनुज्ञप्ति अधिकारी के निर्देशानुसार किया जायेगा।

13. वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प की खेती एवं उसके अनुमन्य भाग के भण्डारण हेतु आवेदन पत्र एवं अनुज्ञापनों का प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

भवदीय,

(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव

संख्या 639(1) /XXIII/2016/04(02)2016तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कृषि उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उद्यान उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(युगल किशोर पन्त)
अपर सचिव

Bh Bhang niyamawali

संख्या:249 / XXIII / 2017 / 04(02) / 2016

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादूनः दिनांक 26 फरवरी, 2018

आबकारी अनुभाग

विषय : **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा–14 के अधीन नशायुक्त भांग उन्मूलन व वाणिज्यिक एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प की खेती के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–639 / XXIII / 2016 / 04(02)2016 दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नशायुक्त भांग उन्मूलन व वाणिज्यिक एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर–6 में उल्लिखित निम्न अंश को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

"तथा जांचोपरांत सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर फसल के किसी भाग का उपयोग किया जा सकेगा।"

3. शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर,2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा, शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

4. कृपया प्रकरण में तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा०रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 249 (1) / XXIII / 2017 / 04(02) / 2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कृषि उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिचन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव